संख्याः 947(1)/9–आ–4–97–161 एन/97

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलायुक्त,**
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **उपाध्यक्ष,**
   विकास प्राधिकरण लखनऊ/देहरादून/वाराणसी/गोरखपुर/मुरादाबाद/
   इलाहाबाद/कानपुर/आगरा/बरेली व मेरठ

आवास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 01 मई, 1997

विषयः नजूल नीति लागू होने के पूर्व नगरमहापालिका/नगरपालिका द्वारा अस्थायी पट्टे/किराये पर आवंटित नजूल सम्पत्ति फ्री–होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

किराये पर आवंटित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवास नीति की कार्य योजना 1997 में निम्न व्यवस्था की गयी है :–

(1) किराये की सम्पत्तियों को विक्रय किये जाने की गति धीमी रही है। इस श्रेणी के भी सभी आवास माह जुलाई, 1997 तक विक्रय कर दिये जाये। इस निर्धारित अवधि तक अध्यासित व्यक्तियों द्वारा क्रय करने को आवेदन न किये जाने पर उन्हें नीलामी द्वारा बेचा जाये।

(2) जो किरायेदार निजी स्वामित्व प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनकी प्रतीक्षा न की जाये।

इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्धारित कार्य येाजना के तहत पट्टागत नजूल भूमि को फ्री–होल्ड किये जाने के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 02.12.1992 के प्रस्तर–2 (2) में यह व्यवस्था की गयी है कि नजूल भूमि/सम्पत्ति को नगरपालिकाओं अथवा नगर महापालिकाओं द्वारा किराये पर अस्थाई पट्टे पर दिये जाने की प्रथा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ऐसी सम्पत्ति/भूमि जो पूर्व में नगरपालिकाओं/नगर महापालिकाओं द्वारा किराये अथवा अस्थाई पट्टे पर दी हुई है, (जिनका कोई पट्ट। विलेख नहीं हुआ है) को निर्धारित दरों के अनुसार अनिवार्य रूप से फ्री–होल्ड कर दिया जायेगा। फ्री–होल्ड प्राप्त करने का पहला अधिकार उन लोगों को होगा जिनके पक्ष में भूमि किराये पर दी गयी है। यदि वे सहमत नहीं होते तो उन्हें बेदखल करके भूमि का निस्तारण नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्नगत मामले में शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि लगभग 4 वर्षों के उपरान्त, अभी तक उपरोक्त प्रकार के मामलों में फ्री–होल्ड की कार्यवाही नहीं की गयी है तथा अधिकांश मामलों में अस्थाई किरायेदारों के कब्जे यथावत बने हुए हैं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 02.12.1992 के प्रस्तर–2(2) आच्छादित ऐसे सभी मामलों में जिनमें फ्री–होल्ड की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है,सम्बन्धित व्यक्ति को एक माह का समय निर्धारित करते हुए फ्री–होल्ड कराने हेतु सकारण नोटिस जारी किया जाय। यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत फ्री–होल्ड नहीं कराते हैं तो ऐसी नजूल सम्पत्तियों को नीलामी के द्वारा निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा प्रत्येक माह की उपलब्धि अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

निर्धारित प्रारूप

माहः

नगर महापालिका/नगरपालिका द्वारा उठायी गयी अस्थायी/किराये की सम्पत्ति (कुल)		निस्तारित मामले				फ्री–होल्ड से प्राप्त धनराशि		लम्बित मामले		अन्तर्ग्रस्त धनराशि	कृत कार्यवाही का विवरण
		संख्या		क्षेत्रफल							
संख्या	क्षेत्रफल	माह	क्रमिक	माह	क्रमिक	माह	क्रमिक	संख्या	क्षेत्रफल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12